पत्र संख्या–14 / डी0एल0ए0 सुपौल (पुलिस लाईन)–75 / 2013–　　　　पटना–15, दि0–

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

संख्या.........–1014/रा0　　　　　　　　　　　　　　　　पटना, दिनांकः–08-04-12

अधिघोषणा

चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि मौजा–खरैल, थाना सं0–152, परगना–मल्हनी गोपाल, थाना– सुपौल, जिला– सुपौल में सार्वजनिक परियोजनार्थ अर्थात् पुलिस लाईन की स्थापना के लिए बिहार सरकार के अधीन पुलिस महानिरीक्षक, के खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण अपेक्षित है। इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त योजना के लिए उपरोक्त ग्राम– खरैल थाना– न0 152 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित हैं, जो मानक माप से कमोवेश 20.00 (बीस एकड) मात्र है, जिसका पूर्ण / अंश खेसरा निम्न प्रकार हैः–

पूर्ण खेसरा संख्याः– 2522, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2543, 2544, 2545, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2859, 2862, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2928, 2930, 2931, 2932, एवं 2524 / 3618

अंश खेसरा संख्याः–2542, 2546, 2556, 2592, 2601, 2602,, 2860, 2861, 2863, 2864, 2913, 2914, 2916, 2927 एवं 2929

चौहद्दीः–

उत्तरः– खेसरा संख्याः– 2547, 2546, 2556, 2542, 2594, 2592, 2601 एवं 2625

दक्षिणः– खेसरा संख्याः–2929, 2910, 2927, 2913, 2914, 2916, 2864, 2863, 2861, 2860, एवं 2858

पूरबः– खेसरा संख्या– पी0डब्लू0डी0 पक्की सड़क

पश्चिमः– खेसरा संख्या– 2858, 2614, 2619, 2620, एवं 2602

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग, जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो ले, लिए जायेंगे। यह घोषणा अधिनियम 1, 1894 की धारा 6 और अधिनियम 18, 1885 की धारा 3 के खंड (1) यथा संशोधित अधिनियम की धारा 4 सन् 1961 एवं सन् 1984 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे संबंध हो। भूमि का मानचित्र जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सुपौल के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

२०/०/१२
समाहर्ता,
सुपौल।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-
सरकार के अवर सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार, विभाग
बिहार, पटना।

पत्र संख्या–14/डी0एल0ए0 सुपौल (पुलिस लाईन)–75/2013– पटना–15, दि0–

ज्ञापांकः– 1014/रा० दिनांकः– 08-04-13

प्रतिलिपिः–

- तीन अतिरिक्त प्रतियाँ सीडी के साथ निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना को दो दैनिक समाचार पत्रों– जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सुपौल को भेजने हेतु प्रेषित।
- प्रभारी जिला गजट पदाधिकारी, सामान्य शाखा, सुपौल को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशित करने और इसकी पाँच–पाँच प्रतियाँ इस विभाग को एवं जिला भू–अर्जन कार्यालय, सुपौल को यथा शीघ्र भेजने हेतु प्रेषित।
- समाहर्त्ता, सुपौल, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सुपौल, पुलिस अध्यक्ष, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/4/13

सरकार के अवर सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार, विभाग
बिहार, पटना।